

FORM No. III

APP
Crl

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

बनाम

मा

बाबूलाल

सरकार

नं०

जामगुन क्र. १२८ L.R. नं.

८८/२०२५

सं. २८२५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

४० नं० पत्तावली पेशवाही वकील जामगुन
उपन० सुपारि वाकपुत्र तामील ४०
नं०। सुपारि के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्रवाई की जाती है जामगुन पत्र पर
जामगुन वकील ब्रह्मलुनी तामील
पत्र व पत्तावली का आवलोकन किया
वह जामगुन वकील पर मानन करने
एवं पत्तावली के आवलोकन के आधार
जामगुन जामगुन पत्र क्र. १२८
L.R. नं० सरकार किया जाता है विस्तृत
निर्णय पुस्तक से लिख्य जाकर तामील
पत्तावली किया गया पत्रालन हेतु
तहसीलदार बांदाकुई को तहरीर जारी है।
पत्तावली जिल्लादुगार होकर वास्तविक
रामिल दफ्तर है।

२५/६
३०/३/२५

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

पत्र संख्या 88/2024

पत्र दायर दिनांक 13.06.2024

पत्र निर्णय दिनांक 30.07.2024

उपनाम

बबूलाल पुत्र प्रभात्या

तनलाल पुत्र प्रभात्या

मस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी श्योसिंहपुरा हाल निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई
हसील बसवा जिला दौसा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

“ प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट ”

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय में प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 60 पुराना 56 कि. बसवा नं. 904 चाही ए रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके रामा पीचूपाडा कलां पटवार हल्का पीचूपाडा कलां भू. नि. क्षेत्र पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर के लगती हुई अन्य खातेदारान की भूमि है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर के मध्य कोई सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं है इस कारण अन्य खातेदारान व प्रार्थीगण के मध्य अपनी-अपनी भूमि की सीमा को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होते रहते है तथा संगीन झगडा फिसाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर के सीमाज्ञान के लिए आवेदन करने पर दिनांक 29.05.2024 को आराजी खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर का सीमाज्ञान मौके पर पटवारी हल्का पीचूपाडा कलां व अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम ने प्रार्थीगण की उपस्थिति में भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम पीचूपाडा कलां के दिनांक 29.05.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की भूमि के

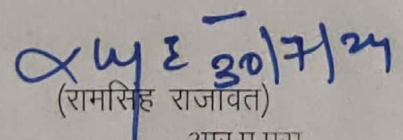
अथ

अन्य पड़ोसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो व प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर पर शांतिपूर्वक काश्त कर लाभान्वित हो सके इसलिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर की पत्थरगढी तहसीलदार बांदीकुई व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर की सीमा के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 60 पुराना 56 के खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर बांके रामा पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई की डौल पर पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार बांदीकुई को जारी फरमाया जावे एवं शीघ्र ही बड़मदाद पुलिस पत्थरगढी के आदेश की पालना फरमाई जावे।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जयें नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलां दिनांक: 29.05.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम पीचूपाडा कलां खाता सं. नया 60 पुराना 56 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलां दिनांक: 29.05.2024 के अनुसार भूमि खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पीचूपाडा कलां दिनांक: 29.05.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 60 पुराना 56 खसरा नं. 904 रकबा 0.28 हैक्टे0 स्थित ग्राम पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई